कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

⚠️ आवश्यक सूचना / NOTICE ⚠️

विद्यालय परिसर में बालक एवं कार्मिक सुरक्षा व निजता संरक्षण संबंधी दिशा-निर्देश

1. प्रवेश पूर्व अनुमति अनिवार्य
संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति का विद्यालय परिसर में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है।

2. विजिटर रजिस्टर में प्रविष्टि
परिसर में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक आगंतुक (Visitor) को प्रवेश रजिस्टर में अपना विवरण दर्ज करना अनिवार्य है।

3. प्रतिबंधित क्षेत्रों में रोक
प्रधानाचार्य/अधिकृत शिक्षक के बिना कक्षा-कक्ष, लैब, पुस्तकालय, शौचालय, छात्रावास व खेल मैदान में प्रवेश प्रतिबंधित है।

4. फोटो / वीडियोग्राफी पूर्णतः वर्जित
बिना पूर्व लिखित अनुमति विद्यार्थियों/शिक्षकों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार या सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीमिंग सख्त मना है।

5. डेटा व व्यक्तिगत पहचान सुरक्षा
विद्यार्थियों के फोटो, वीडियो अथवा व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह, प्रकाशन या प्रसारण जिससे निजता व सुरक्षा भंग हो, वर्जित है।

6. प्रवेश अस्वीकार्यता का अधिकार
जिस व्यक्ति की उपस्थिति से विद्यालय की सुरक्षा, अनुशासन या शैक्षणिक माहौल प्रभावित होने की आशंका हो, उसे रोका जा सकता है।

🚨 विधिक चेतावनी एवं दंडात्मक कार्रवाई 🚨

बिना अनुमति प्रवेश, परिसर खाली करने से मना करने, अनाधिकृत वीडियोग्राफी करने अथवा विद्यालय कार्य में बाधा डालने पर **तत्काल स्थानीय पुलिस** को सूचित किया जाएगा और निम्नांकित अधिनियमों के तहत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी:

✓ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 | ✓ पोक्सो (POCSO) एक्ट, 2012 | ✓ जे.जे. (JJ) एक्ट, 2015 | ✓ आई.टी. (IT) एक्ट, 2000

आज्ञानुसार,
प्रधानाचार्य / संस्था प्रधान
राजकीय विद्यालय

आदेश संदर्भ: शिविरा/माध्य/मा-स/22444/विविध/वोस-2(26-क)/2026
RajKaj Ref No.: 24063903 | सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदत्त